भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3939

मंगलवार, 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म

3939. श्री अरुण भारतीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान क्विक कॉमर्स उद्योग के विकास पर सरकार की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2024 में सृजित नौकरियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्विक कॉमर्स उद्योग में गिग कामगारों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ग्रामीण बाजारों को लाभ हुआ है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त उद्योग में गिग कामगारों को रोजगार लाभ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): ई-कॉमर्स क्षेत्र व्यापक कानूनी और नीतिगत फ्रेमवर्क द्वारा शासित होता है। ई-कॉमर्स क्षेत्र पर लागू कुछ अधिनियम इस प्रकार हैं: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007; कंपनी अधिनियम, 2013; प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 आदि। एफडीआई नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 में ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से संबंधित प्रावधान निहित हैं।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) नामक अग्रगामी पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी एक खुले, अंत:प्रचालनीय और प्रतिस्पर्धी मार्केटप्लेस को बढ़ावा देकर क्विक कॉमर्स को सक्षम बनाने में भूमिका निभा रहा है जहां विक्रेता, लॉजिस्टिक्स प्रदाता और क्रेता निर्बाध रूप से जुड़ सकते हैं।

ओएनडीसी विकेंद्रीकृत ईकोसिस्टम को बढ़ावा देता है जिससे छोटे व्यवसाय - एसएमई, किराना स्टोर्स, किसान, कारीगर, एसएचजी आदि डिजिटल मार्केटप्लेस में प्रभावी रूप से भाग लेने तथा प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होते हैं। उपभोक्ताओं को अनेक विक्रेता में से चुनाव करने और मूल्यों में अधिक पारदर्शिता का लाभ मिलता है। ओएनडीसी का ओपन ईकोसिस्टम हाइपरलोकल लॉजिस्टिक्स कंपनियों की भी सहायता करता है, जिससे सिंगल प्लेटफॉर्म पर निर्भरता के बिना क्विक डिलीवरी संभव होती है। बड़े एग्रीगेटर्स पर निर्भरता कम करके, ओएनडीसी छोटे खुदरा व्यापारियों को क्विक कॉमर्स में भाग लेने में मदद कर रहा है, जिससे आर्थिक लाभों का व्यापक वितरण सुनिश्चित हो रहा है।

(ख): रोजगार और बेराजगारी संबंधी आंकड़े आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के जरिए एकत्र किए जाते हैं। यह सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। सर्वेक्षण की अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक की है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति के संबंध में, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र सहित, अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार है:

वर्ष	**कामगार जनसंख्या अनुपात (प्रतिशत में)**
2021-22	52.9
2022-23	56.0
2023-24	58.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

आंकड़े दर्शाते हैं कि रोजगार को प्रदर्शित करने वाले कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में विगत वर्षों के दौरान बढ़ोतरी का रुझान रहा है।

(ग): पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफॉर्म कामगारों' की परिभाषा और उनके संबंधित प्रावधानों को संसद द्वारा अधिनियमित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में उपलब्ध कराया गया है।

संहिता के अनुसार, गिग कामगार को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो परंपरागत कर्मचारी-नियोक्ता संबंध से इतर कार्य करते हैं अथवा कार्यों में भागीदारी करते हैं तथा ऐसे कार्यकलापों से आय अर्जित करते हैं।

यह संहिता जीवन तथा अशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को बनाने की व्यवस्था करती है। यह संहिता कल्याणकारी स्कीमों के वित्तपोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की भी व्यवस्था करती है।

(घ): दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एसएचजी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ मिलकर कार्य किया है। एसएचजी उत्पादों के विपणन के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के सहयोग से जेम के स्टोर फ्रंट के रूप में 'सरस कलेक्शन' तैयार किया गया है। साथ ही, कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों सहित स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) उत्पादकों को एसएचजी उत्पादों के विपणन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/पहलों के जरिए राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और अनेक ई-कॉमर्स कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए गए हैं। एसएचजी उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (www.esaras.in) भी शुरू किया गया है। ई-सरस ओएनडीसी पर विक्रेता नेटवर्क भागीदार के रूप में भी लाइव है। महिला एसएचजी के क्यूरेटिड उत्पाद ओएनडीसी नेटवर्क के अनेक ऐप्स पर उपलब्ध हैं।

ई-कॉमर्स का ओपन नेटवर्क मॉडल, जैसे ओएनडीसी, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न पहलों में भी संलग्न है:

i. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) नेटवर्क का इस्तेमाल ओएनडीसी के जरिए भारत के प्रत्येक गांव को नेशनल डिजिटल मार्केट से जोड़ने में किया जा रहा है। अपने 4 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के नेटवर्क के साथ - सीएससी, ओएनडीसी के जरिए ग्रामीण नागरिक भारत में असिस्टिड ई-कॉमर्स के रास्ते खोल रहा है। इस

एकीकरण से ग्रामीण, व्यापक ई-कॉमर्स नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हो रहे हैं, जिससे वीएलई के लिए उद्यमिता के अवसरों और आय को बढ़ावा मिल रहा है।

ii. कृषि मंत्रालय कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सहायता प्रदान कर रहा है तथा उनके लिए ओएनडीसी के जरिए देशभर के बाजारों तक पहुंच को आसान बना रहा है। 7000 से अधिक एफपीओ ओएनडीसी - कम्प्लेंट एप्लीकेशन में शामिल हो चुके हैं, जो अभिनव संयुक्त डिजिटल मांग सृजन पहलों के सहयोग से उन्हें भारत के 160 से अधिक शहरों में अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाता है। यह पहल किसानों और एफपीओ उद्यमों को डिजिटल रूप से सशक्त और बाजार तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

iii. प्रसार भारती ओएनडीसी के माध्यम से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के तहत भारतनेट अवसंरचना का इस्तेमाल करके ग्रामीण भारत के लिए ओवर द टॉप (ओटीटी) और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ ब्रॉडबैंड सेवाओं को एकीकृत करने के लिए कार्य कर रही है। इसमें वेव्स पर खरीदारी को सक्षम बनाना, प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म, उत्पादों और सेवाओं की बिक्री को सक्षम बनाने के लिए ओएनडीसी के डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करना तथा ग्रामीण विक्रेताओं की डिजिटल कॉमर्स संबंधी चुनौतियों को दूर करना शामिल है।

(ङ): ई-कॉमर्स का ओपन नेटवर्क मॉडल, जैसे ओएनडीसी, बेहतर आय सुनिश्चित करके तथा अधिक प्लेर्टफार्म कमीशन के बिना ग्राहकों तक सीधे पहुंच प्रदान करके गिग कामगारों जैसे ड्राइवरों और डिलिवरी पार्टनरों को सशक्त बना रहा है। इसके परिणामस्वरूप गिग कामगारों को अधिक वित्तीय लाभ, पादर्शिता और अपने कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त होती है।

इसका प्रमुख उदाहरण नम्मा यात्री मॉडल है जहां राइड-हेलिंग सर्विस ओएनडीसी पर स्वतंत्र रूप से संचालित होती है, जिससे ड्राइवरों को अपनी आय का बड़ा हिस्सा अपने पास रखने का मौका मिलता है।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार और टीएसपी (प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता) के रूप में नम्मा यात्री के बीच सहयोग से तैयार - यात्री साथी जैसी पहलें यह दर्शाती हैं कि कैसे राज्य सरकारें उचित शर्तों तथा बेहतर आजीविका के साथ ड्राइवरों की सहायता करने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए ओएनडीसी के खुले ईकोसिस्टम का लाभ उठा रही हैं।

*****